mail

मध्यप्रदेश राज्य कृषि विपणन बोर्ड
किसान भवन, 26 अरेरा हिल्स, भोपाल

ईमेल आईडी - niyaman.mpsamb@gmail.com

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./आईटीसी/258/2024|150 भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रति,

शाखा प्रबंधक

आईटीसी लिमिटेड – एबीडी

ऑफिस नं. 301, तीसरी मंजिल, कॉर्पोरेट जोन, सी 21 मॉल

एनएच -12, होशंगाबाद रोड, मिसरोद, भोपाल।

विषय :- मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम-2009 (यथासंशोधित) के अधीन विशेष अनुज्ञप्ति के संबंध में।

संदर्भ :- आपका आवेदन दिनांक 11/03/2024, दिनांक 16/05/2024

मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम 1972 की धारा 32-क के अधीन निर्मित नियम मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी (एक से अधिक मंडी क्षेत्रों के लिये विशेष अनुज्ञप्ति) नियम, 2009 (यथासंशोधित) के अधीन **आईटीसी लिमिटेड – एबीडी को विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक क्रमांक/एस.एल./2021/09** दिनांक 25/02/2021 स्वीकृत की गई है।

संदर्भित आवेदनो के माध्यम से उक्त स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति में निम्न अतिरिक्त विनिर्दिष्ट मंडियो के क्षेत्रांतर्गत नवीन क्रय केंद्र स्थापना हेतु अनुमति एवं **वाणिज्यिक संव्यवहार** की अनुमति चाही गई है, जिसका विवरण निम्नानुसार है -

नवीन क्रय केंद्र स्थापना हेतु -

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	गंजबासौदा	"धान्य तथा दलहन", "तिलहन" एवं "वन उपज तथा कृषि औषधीय उपज"

वाणिज्यिक संव्यवहार हेतु -

क्र	मंडी समिति का नाम	क्रय की जाने वाली कृषि उपज का समूह
1	मैहर	"धान्य तथा दलहन" एवं "तिलहन"

3. आवेदन पर विचारोपरांत अधिसूचित प्राधिकारी प्रबंध संचालक महोदय द्वारा आईटीसी लिमिटेड – एबीडी के द्वारा नियम 2009 के तहत स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021 मे उक्तानुसार आवेदनों में किए गए अनुरोध - नवीन क्रय केंद्र स्थापना हेतु अनुमति, वाणिज्यिक संव्यवहार अनुमति की स्वीकृति/अनुमति प्रदान की गई है। इस प्रकार कुल क्रय केन्द्रों की संख्या 60 तथा कुल वाणिज्यिक संव्यवहार केन्द्रों की संख्या 44 है। (परिशिष्ट-अ एवं परिशिष्ट-ब संलग्न है।) उक्त सभी क्रय केंद्रों को सम्मिलित कर अधिसूचित कृषि उपज की न्यूनतम क्रय मात्रा के संबंध में नियम 2009 की कंडिका 4(2) के प्रावधान लागू रहेंगे।

4. नियम 2009 के नियम 6 के अधीन प्रतिभूति स्वरुप बैंक गारंटी/ एफडीआर जमा करना अनिवार्य होगा। कृषकों को कृषि उपज का नियत समयसीमा में पूर्ण भुगतान करना अनिवार्य होगा।

5. क्रय केंद्र स्थापना के संबंध में नियम 2009 के नियम 8(6) तथा नियम 8(7) के प्रावधान लागू होंगे तथा क्रय केंद्र पर नियम 10 के अधीन प्रसुविधाओं का सृजन करना अनिवार्य होगा।

6. अधिनियम, नियम, उपविधि, के प्रावधानों तथा ई-अनुज्ञा पोर्टल पर कार्य करने के दिशा-निर्देशों का पालन किया जाना बंधनकारी होगा।

(प्रबंध संचालक महोदय के अनुमोदन एवं आदेशानुसार जारी)

संलग्न - उपरोक्तानुसार।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

क्र/बोर्ड/नियमन/वि.अनु./आईटीसी/258/2024||5|

भोपाल, दिनांक 06/06/2024

प्रतिलिपि:-

1. संयुक्त संचालक, म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड, आंचलिक कार्यालय__________(समस्त) की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु। अनुज्ञप्तिधारक से अधिनियम, नियम एवं उपविधियो का पूर्ण पालन सुनिश्चित करने का अनुरोध है। आपके स्तर से इस विषय की जानकारी संभाग की समस्त कृषि उपज मंडी समिति को दी जाएं।

2. सचिव कृषि उपज मंडी समिति__________जिला__________, म. प्र. (समस्त) की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

3. सहायक संचालक (आईटी शाखा), म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड भोपाल। विशेष अनुज्ञप्तिधारी आईटीसी लिमिटेड – एबीडी भोपाल को स्वीकृत विशेष अनुज्ञप्ति (अद्यतन) की ई-अनुज्ञा मॉड्यूल मे आवश्यक प्रविष्टि की जाएं।

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट-अ

M/s ITC Limited ABD

Head Office - Virginia House 37 J.L. Nehru Road Kolkata 700071

Local Address - 301 Third Floor Corporate Zone C-21 Mall Hoshangabad Road Misrod Bhopal 462047

E-mail ID - kartikey.gupta@itc.in, subodh.deshpande@itc.in

GSTIN - 23AAACI5950L1ZI

विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021

वैधता अवधि - दिनांक 24/02/2026 तक

क्रय केंद्र सूची

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय कैंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
60	तिलहन/धान्य तथा दलहन/वन उपज और कृषि औषधीय उपज	गंजबासौदा	कृषि उपज मंडी समिति गंजबासौदा	रूचि इन्फ्रास्ट्रक्चर लि.	ग्यारसपुर रोड, ग्राम जीवाजीपुर एवं हरदुखेडी, तहसील गंजबासौदा जिला विदिशा	श्री अमोल झाडे मो.नं. 9617990067

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल

परिशिष्ट - ब

M/s ITC Limited ABD
Head Office - Virginia House 37 J.L. Nehru Road Kolkata 700071
Local Address -301 Third Floor Corporate Zone C-21 Mall Hoshangabad Road Misrod
Bhopal 462047
E-mail ID - kartikey.gupta@itc.in, subodh.deshpande@itc.in

GSTIN - 23AAACI5950L1ZI
विशेष अनुज्ञप्ति क्रमांक/एस.एल./2021/09 दिनांक 25/02/2021

वैधता अवधि - दिनांक 24/02/2026 तक

अनु क्र.	अधिसूचित कृषि उपज का नाम जिसके कारबार हेतु विशेष अनुज्ञप्ति स्वीकृत/ नवीनीकृत की गई है।	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र का नाम, जिसमें कारबार हेतु अनुज्ञप्ति प्रदान की गई है।	संबंधित मंडी समिति का नाम	विनिर्दिष्ट मंडी क्षेत्र के अधीन अनुमोदित क्रय केंद्रों के नाम	कारबार का स्थान, कार्यालय का पता	कार्यालय प्रमुख का नाम, पदनाम एवं पता
44	तिलहन/धान्य तथा दलहन	मैहर	कृषि उपज मण्डी समिति मैहर	लागू नही	लागू नही	श्री मनमोहन चौहान मो0नं- 7024256636

सहायक संचालक (नियमन)
म प्र राज्य कृषि विपणन बोर्ड
भोपाल